



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

► झालावाड़ में सरपंच एवं उसका दलाल पुत्र (प्राईवेट व्यक्ति)
25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, 28 मार्च, गुरुवार/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राधेश्याम सरपंच ग्राम पंचायत सरड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ एवं उसके दलाल पुत्र रवि कुमार मेहर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 25 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि ग्राम पंचायत सरड़ा के ग्राम पिरथीपुरा में नरेगा कार्यों की मस्टरोल पास करने की एवज में कमीशन के रूप में राधेश्याम सरपंच द्वारा उसके पुत्र रवि कुमार के माध्यम से 55 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याणमल मीणा के सुपरवीजन में एसीबी झालावाड़ इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जगराम मीणा के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी राधेश्याम सरपंच को उसके दलाल पुत्र रवि कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से 25 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याणमल मीणा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।